

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक T.P.1230 / न० ५०

श्री मर्ती सीता देवी, श्री मर्ती पूर्णिमा देवी
 श्री / पति - श्री लालु तिहाई एवं श्री प्रियवनन्दन तिहाई एवं अन्य,
 प्रभ - श्री रामेश्वरानन्द तिहाई आम सखतारा, पिता - श्री लामेश्वर तिहाई,
 और पितृ - श्री लामेश्वर तिहाई रोड, धनबाद, दिनांक ११/११/१६

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/आधारिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केस न० बी०डी० ९५०/१२-१३
 संबंधी आपके आवेदन दिनांक २१.३.१३ के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन दलील संख्या - ९९३९, ९९४० दाखिल खारिज अभिलेख संख्या ४, ३। ॥ ११८६-८७
 जमाबंदी संख्या २८८।, २२८० से निर्गत लगान रसीद वर्ष १४-१५ की अभिप्रामाणित प्रति, घपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशासा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत अवधीय/व्यवसायिक/आधारिक/संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० केश न० ९५०/१२-१३ के नक्शों की स्वीकृति प्रवंध निर्देशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निर्देशनुसार सूचैत करना है कि द्वीरपुर-०७ मौजा अन्तर्गत खाता न० ११२ प्लॉट न० ३८५ रक्का ५९१०.०६ पर्सनल भूमि पर स्वीकृत नक्शों के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री डॉ स० दुसार की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आधोहस्ताक्षरी वगे कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शों के अनुसार अधिकतम २ वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी आधोहस्ताक्षरी वगे उपलब्ध करायेंगे।

प्रवंध निर्देशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियोन्त नहीं किया जा सकेगा, वल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शों में दर्शायी नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

भाडा भवन विनेमय के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/आधारिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, आधेकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्भीत भवन का व्यवहार उसी प्रयोजके लिये किया जाना सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रबन्धन भूमि पर अध्याभित्व का प्रमाण स्थपित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रवंध के लिये आप वंश जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार/नेशनल वाल्डिंग कोड के अधीतन आदेशों, निर्देशां एवं प्रावधानों से ज्ञान प्राप्ति होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रु ६८०/..... जमा कि गा गया है। शेष राशि आवेदक हात सहायता श्रामायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

स्टक्वर डिजाइन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या १० दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य रुकीत करना पड़ेगा।

Plinth के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात ही अगे की निर्माण कार्य जारी रहेंगी। ताथुर हो छलाम्बग और छलेकट्टू लग सम्बन्धित नक्शा भवन निर्माण में पूर्ण होते ही निर्विचित रूप से जमा लर देंगे।

१००१६
कार्यपालक अभियन्ता

नगर निवेशन विभाग,

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार
धनबाद। १००१६

Ravi kant singh

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:- ८० ३१५ / न०नि०

सेवा नं.

श्री रमेश दुर्गार शिंदे

पिता/माता पु. दर्शन शिंदे अंगूष्ठी,
पत्ना राजस्थान।

धनबाद, दिनांक:- २७/६/१६

विषय— आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केव नं० बी०डी०— ४३/१६-१७
संबंधी आपके आवेदन दिनांक— ८.५.१६ के संबंध में।

महसूल

आपके आवेदन, दलील संख्या— ३१०। दाखिल खारिज अभिलेख संख्या— १३६१११५-१६

जमावंदी संख्या— १०४२ से निर्गत लागान रसीद वर्ग १५-१६ की अभिप्रामाणित राति शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुमति के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुतआवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक, संस्थागत भवन संबंधी बी०डी० केव नं०— ४३/१६-१७ के नक्शे की स्वीकृति प्रवन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशनुसार सूचित करना है कि दीरुपुर-०७ मौजा अन्तर्गत खाता नं०— ११२ प्लाट नं०— ३४५ रकवा २३.।।.३३ पर्गमेंट भूमि पर स्वीकृत नक्शे के

अनुसार लाइसेंसी अभियन्ता श्री रमेश दुर्गार शिंदे की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी का कार्यालय के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रवन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बैगर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा। वल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र दिक्कल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय — समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में द्वाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नद्दा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा लिया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भुख्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार / नेश्वलन वित्तिंग कोड के अद्यतन आदेश नियंत्रण एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदन द्वारा उपकर के मद में २५४ कुल रु० ६७०३१।। जमा किया गया है। ये राहि आवेदन द्वारा स्हायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

स्कूक्यर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के कपहले या ६० दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

स्लीच के निर्माण के बाद आवेदन सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेंगे। साथ ही प्लानिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

कायपालक अभियन्ता
नगर निवेशन विभाग,

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,
२७/६/१६ धनबाद।

Ram Kant Singh